न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी	**कनिष्का यादव, आर.जे.एस.**
नम्बरी फौजदारी संख्या	**10/17**
CIS NO-	**10/17**
CNR NO-	**RJBW160000202017**
अंतर्गत धारा	143, 447, 323, 427 भा0दं0सं0

रामघणी देवी पत्नी राधेश्याम उम्र 43 साल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज.

परिवादीया

बनाम

1. जयसिंह पुत्र जयराम उम्र 49 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा।

2. जयराम पुत्र भूरा मीणा उम्र 78 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा

3. बरजी देवी पत्नी जयराम मीणा उम्र 66 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा

4. अम्बालाल पुत्र जयराम मीणा उम्र 41 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा

5. प्रकाश पुत्र रामदेव उम्र 35 साल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा

6. दयाराम पुत्र गोपीराम जाट निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा **(मृत्यु होने से दिनांक 12-03-2026 को कार्यवाही ड्रॉप)**

7. काना भील पुत्र नामालूम निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा **(मफरूर)**

-अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 143, 447, 323, 427 भा0 दं0 सं0

उपस्थितः-

1- श्री ओमप्रकाश मून्दडा, श्री मनोज कुमार रेगर अधिवक्ता परिवादीया की ओर से ।

2- श्री फारूख अली, अधिवक्ता अभियुक्तगण संख्या 1, 2, 3, व 4 की ओर से ।

3- श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 5 की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 11.05.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया रामघणी देवी ने एक इस्तगासा विरूद्ध अभियुक्तगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि परिवादीया के ससुर के खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 8/11 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम भरणी खुर्द में स्थित है जिसमें परिवादीया के परिवार ने फलों का बगीचा लगा रखा है। दिनांक 17.11.2013 को प्रार्थिया का पति व देवर रामराय घाटारानी माताजी के मन्दिर पर मजदूरी करने गए हुए थे। परिवादीया की सास रिश्तेदारी में अलेकजेण्डरपुरा ग्राम में गयी हुई थी और परिवादीया का ससुर बीमार है। दिन में करीब 10-11 बजे के बीच जय सिंह पुत्र जयराम मीणा, जयराम मीणा पुत्र भूरा मीणा, बरजी पत्नी जयराम मीणा, अम्बालाल पुत्र जयराम मीणा, एवं प्रकाश पुत्र रामदेव मीणा व दयाराम पुत्र गोपी राम एवं काना भील (जे.सी.बी. चालक) एक राय होकर कब्जा करने की नियत से परिवादीया के खेत पर लगे बगीचे के पेडों को उखाडने लगे जिसकी सूचना परिवादीया को मिलने पर परिवादीया भागकर अपने खेत पर गयी और जेसीबी को बन्द करवाने के लिए उसके आडे फिरने लगी तो जय सिंह पुत्र जयराम ने आडे फिर कर परिवादीया के सिर पर लकडी की चोट मारी और मुंह पर लकडी का ठोसा मारा जिससे परिवादीया के दाहिने आंख पर चोट लगी जयराम ने परिवादीया के कपडे खींचते हुए चोटी पकडकर घसीटते हुए खेत के बाहर ले गया उसके बाद बरजी आ गयी और परिवादिया को जमीन पर गिराकर परिवादीया की छाती पर बैठ गयी, परिवादीया के चिल्लाने पर परिवादीया का देवर महेश व अन्य पडोसी आशाराम

भागकर आया जिन्होंने परिवादीया का बीच बचाव कराया। जयराम, अम्बालाल, प्रकाश, दयाराम सभी के हाथों में लकडिया थी महेश व आशाराम को सभी ने मिलकर लातों घूसों से मारपीट करते हुए खेत से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। काना भील जेसीबी चलाकर के बगीचे को उजाडता रहा जिसमें आठ नींबू के पेड, एक जामुन का पेड, एक केरून्दा का पेड, 6-7 बेरीया का पेड व एक नीम का पेड उखाड दिया। मारपीट से परिवादीया के दाहिने आंख पर गम्भीर चोट आई जिससे परिवादीया को दिखना बन्द हो गया। परिवादीया को ईलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय टोंक लेकर गये। परिवादीया की हालत ठीक होने पर थाना शक्करगढ में रिपोर्ट दर्ज करवायी जहां परिवादीया की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। उसके बाद परिवादीया ने दिनाकं 08.12.2013 को पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को अभियुक्तगण के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रार्थनापत्र भेजा परन्तु वहां भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से न्यायालय में इस्तगासा पेश किया ईत्यादी...।

2. न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 156(3) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत वास्ते अनुसंधान/जांच हेतु पुलिस थाना शक्करगढ जिला भीलवाडा को भेजा गया, जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/2014 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान पुलिस थाना शक्करगढ द्वारा मामला अदम वकू झूठ में होना मानकर अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज रजिस्टर एफआर किया गया। जिस पर परिवादीया द्वारा व्यथित होकर आपत्ति याचिका प्रस्तुत की। बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143, 447, 323, 427 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजि. रे. फो.(परिवाद) किया गया।

प्रकरण में अभियुक्त दयाराम की मृत्यु हो जाने से दिनांक 12-03-2026 को अभियुक्त दयाराम के विरूद्ध आरोपित अपराध में कार्यवाही ड्रॉप की गई एवं अभियुक्त काना भील मफरूर है। प्रकरण में अब अभियुक्तगण जयसिंह, जयराम, बरजी देवी, अम्बालाल एवं प्रकाश की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

3. अभियुक्तगण को धारा 143, 447, 323, 427 भा0दं0सं0 का आरोप

सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन-समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा परिवादी पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में निम्न गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गयेः-

पी.डब्ल्यू	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू 1	रामघणी	परिवादीया
पी.डब्ल्यू 2	महेश	चश्मदीद साक्षी

प्रलेखिय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः-

क0सं0	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	परिवाद
2	प्रदर्श पी 2	नक्शा मौका घटनास्थल
3	प्रदर्श पी 3	चोट प्रतिवेदन रामघणी
4	प्रदर्श पी 4	जमाबन्दी ग्राम भरणी खुर्द संवत 2071—2074

5. अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा उन्हें झूठा फंसाना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया तथा कोई प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की।

6. प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दू उत्पन्न होते हैंः-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17-11-2013 को समय दिन के करीब 10-11 बजे मौजा ग्राम भरणी खुर्द में स्थित परिवादीया रामघणी के ससुर के खातेदारी की उसकी कब्जेशुदा आराजीयात पर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधिविरूद्ध जमाव का गठन कर प्रवेश किया एवं परिवादीया एवं उसके देवर महेश के साथ मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की एवं उक्त आराजीयात में लगे पौधों को उखाड दिया जिससे परिवादीया को 50 रूपए से ज्यादा की रिष्टी कारित हुई ?

2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने तर्क दिया कि परिवादी पक्ष की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषी करार दिया जावे।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते है। गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अतः परिवादी पक्ष अपनी कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. विचारणीय बिन्दू के संबंध में परिवादी पक्ष की ओर से कुल 2 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादीया रामघणी न्यायालय के समक्ष पी ड 1 के रूप में परीक्षित हुई है। जिसने स्वयं की मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि उनके भरणी खुर्द में उसके ससुर के नाम जमीन है। इस जमीन में उन्होंने नीम, आम, जामुन आदि बो रखें है। बयान देने से करीब 10-12 साल पहले की बात है। अभियुक्त जयसिंह, जयराम, बरजी व उनके साथ अन्य 5-7 आदमी जेसीबी लेकर आये और अनाधिकृत रूप से खेत में प्रवेश कर इनके पेडों को जेसीबी से नष्ट कर दिया। फिर गवाह मौके पर गयी तो जयसिंह ने उसके लकडी की आंख पर मारी। बरजी ने गवाह को चोटी पडकर नीचे गिरा दिया व सभी अभियुक्तगण ने गवाह के साथ मारपीट की। उसके द्वारा चिल्लाने पर उसका देवर महेश बीच बचाव कराने आया तो अभियुक्तगण ने महेश के साथ भी मारपीट की। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से इन्हें करीब 1 लाख रूपए का आर्थिक नुकसान कारित हुआ। गवाह ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका बनाया जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने गवाह का चोट प्रतिवेदन बनाया जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

गवाह के ससुर के खाते की नकल प्रदर्श पी 4 है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किए कि वह अनपढ है इसलिए उसे घटना की तारीख, मिती, साल, संवत याद नहीं है। घटना सुबह के 10-11 बजे की है। वह वक्त घटना घर पर थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनके विरूद्ध एस सी एस टी का मुकदमा दर्ज हुआ था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उन्होंने एस सी एस टी का मुकदाम दर्ज कराया इसलिए इन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया, बल्कि इनके वृक्ष उपाड दिए इसलिए मुकदमा दर्ज कराया। वह ससुराल आने जाने लगी उससे पहले से ही जमीन पर उनका कब्जा था। एस सी एस टी के मुकदमे में भीलवाडा पेशी पर उसकी सास, महेश एवं उसका पति राधेश्याम तीनों जाते थे। यह उसे पता नहीं कि उन्होंने पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया या इन्होंने करवाया। वह अनपढ है इस कारण उसे खेत के नम्बर याद नहीं है। इनके खेत के एक तरफ मुलजिमान की जमीन है व एक तरफ मीणो की जमीन है। खेत के एक तरफ नदी आ रही हैं। उसे जेसीबी के नम्बर याद नहीं है। जेसीबी किसकी थी उसे पता नहीं है। वक्त घटना उसका पति घाटारानी था व देवर महेश बकरियां चरा रहा था। घटनास्थल से उसका देवर महेश 2-3 किलोमीटर दूर बकरियां चरा रहा था। मौके पर जाट व नदी में काम करने वाले व्यक्ति थे। उसके देवर ने ही बीच बचाव किया। अडोस पडोस के दूसरे आदमी छुडाने नहीं आये थे। उसका देवर बारकूटा सुनकर आ गया था। उसके साथ आधे घंटे तक मुलजिमानों ने मारपीट करी थी जिससे उसके आंख पर चोट आयी। उसकी आंख के चोट लकडी की मारने से आयी। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसकी चोटी पकड कर नीचे गिरा दिया जिससे उसके लगी हो बल्कि उसके लकड़ी से मारी। वह थाने में रिपोर्ट देने नहीं गयी। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह पुलिस वालों के साथ उसका मेडिकल कराने नहीं गयी थी, बल्कि गयी थी। उसका मेडिकल घटना के 5-10 दिन बाद कराया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके कोई चोट नहीं थी सिर्फ आंख में दर्द की शिकायत थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दिनांक 23.01.2014 को उसका मेडिकल हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने दर्द की शिकायत डाक्टर साहब को बताई थी एमएलसी मे डोक्टर ने चोट दो माह विगत की बताई थी जो

सही बताई थी। पुलिस वालें मात्र अस्पताल में आये थे इसके अलावा कहीं नहीं आये थे। यह उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर कहां कराये। प्रदर्श पी 2 पर उसके अकेले के हस्ताक्षर कराये थे, प्रदर्श पी 2 पर क्या लिखा पढी हुई उसे पता नहीं है, ना ही उसे पुलिस वालों ने पढकर सुनाया। प्रदर्श पी 1 में लडाई के बारे में लिखा हुआ है। उसने जमाबन्दी की नकल पत्रावली में पेश नहीं की। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह झूठे बयान दे रही है।

11. प्रकरण के अन्य गवाह पी ड 2 महेश ने स्वंय की मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि बयान देने से करीब 12-13 साल पहले की बात है। उनके भरणी खुर्द में जमीन है। इस जमीन में उन्होंने नीम, आम, जामुन, केरून्दा आदि बो रखे थे। अभियुक्त जयसिंह, जयराम, जयसिंह की माता, जयसिंह का भाई और अन्य लोग आए। अभियुक्तगण ने जेसीबी से खेत में लगे पौधों को नष्ट कर दिया। अभियुक्तगण को रोकने के लिए गवाह की भाभी रामघणी गयी तो रामघणी के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट की। गवाह, उसकी भाभी का बीच बचाव करने गया तो अभियुक्तगण ने गवाह के साथ भी मारपीट की। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से इन्हें करीब दो-ढाई लाख का नुकसान हुआ। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि जमीन के खसरा संख्या क्या है उसे पता नहीं है। जमीन 4 बीघा थी। वह छोटा था तभी से मुलजिमानों का कब्जा था। घटना शाम के समय की है शाम के कितने समय की थी यह उसे पता नहीं है। घटना 12-13 साल पहले की है उसे घटना की तारीख पता नहीं है। वक्त घटना वह बकरी चरा रहा था। वह घटना स्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर था। घटनास्थल के आस पास औरों के भी खेत थे फिर कहा कि आधा एक किलोमीटर दूर था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिमान ने उनके खिलाफ एस-सी, एस-टी का मुकदमा दर्ज कराया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिमानों ने इनके खिलाफ एस-सी, एस-टी का मुकदमा दर्ज कराया उसके बाद इन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि अगर वो एस-सी, एस-टी का मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो ये यह मुकदमा दर्ज नहीं कराते, अगर वो पेड नहीं उखाडते तो इनके विवाद नहीं होता। वक्त घटना वह, उसका भाई और उसकी भाभी मौके पर थे। वह लडाई झगडा होने के 5–10

मिनट बाद मौके पर आया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इनके खिलाफ एस-सी, एस-टी का मुकदमा भीलवाडा न्यायालय में चला था। वह थाने में बयान देने नहीं गया था, उसे थाने वालों ने बुलाया नहीं था। उसके छोटी मोटी चोटें आयी थी पर उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ था। उसकी भाभी के आंख पर लगी थी, उसकी भाभी का मेडिकल हुआ था। उसे जेसीबी के नम्बर याद नहीं है। वक्त घटना वह 8–9 साल का ही था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिमानों ने पत्थरगढी करवायी थी और मौके पर गिरदावर साहब आकर जमीन नापी थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पत्थरगढी में उनकी जमीन नाप में इनके अन्दर तक आ गयी थी। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मुलजिमान की जमीन इनकी जमीन के अन्दर हो बल्कि इनकी जमीन मुलजिमानों के कब्जे में थी। पैड पौधे इन्होंने लगाये थे, पेड पौधे उनके मम्मी पापा ने लगाये थे। 7-8 पेड नीम्बू के थे, एक जामून का था, दो आम के थे, एक केरून्दा का था। गवाह ने कोर्ट में बयान दिए थे, जिसमें उसने कितने पेडों का नुकसान हुआ था उसके बारे में नहीं बताया था। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसकी भाभी के चोट गिरने से लगी हो बल्कि मुलजिमानों के देने से लगी। उसकी भाभी के आंख पर चोट जयसिंह ने मारी थी व उसकी मम्मी ने चोटी पकड़ी थीं। जयसिंह की मम्मी का नाम उसे पता नहीं है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वो बयान रामघणी के कहने से दे रहा हो बल्कि वह मोके पर मौजूद था। उसकी जन्म तारीख 1998 की है। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उनके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई हो और उन्होंने यह एस सी एस टी के मुकदमें से बचने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया हो।

12. विचारणीय बिन्दू के संबंध में यदि हम पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र अवलोकन व विवचेन धारा 447 भा.द.स. के परिप्रेक्ष्य में करें तो इस संबंध में परिवादीया पी ड 1 स्वंय रामघणी ने दौराने जिरह कथन किया है कि वह ससुराल आने जाने लगी उससे पहले से ही जमीन पर उनका कब्जा था। इसी अनुक्रम में चश्मदीद गवाह पी ड 2 महेश जिसके द्वारा परिवादीया ने उसका बीच बचाव करना बताया है ने दौराने जिरह कथन किए हैं कि जमीन के खसरा संख्या क्या है, उसे पता नहीं है, जमीन 4 बीघा थी। गवाह छोटा था तभी से

मुलजिमानों का कब्जा था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिमानों ने पत्थरगढी करवाई थी और मौके पर गिरदावर साहब ने आकर जमीन नापी थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पत्थरगढी में अभियुक्तगण की जमीन नाप में उनके अन्दर तक आ गई थी। इस प्रकार गवाहों के उक्त कथन परिवादी पक्ष की कहानी के लिए घातक है क्योंकि धारा 441 भा.द.स. के तहत आपराधिक अतिचार के अपराध के सृजन हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादीया के ससुर के आधिपत्य/कब्जेशुदा सम्पत्ति में अपराध करने, परिवादीया को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्द करने के आशय से प्रवेश किया जाए। गवाहों के उपरोक्त कथनों से वादग्रस्त आराजियात पर अभियुक्तगण का कब्जा होना दर्शित होता है। अतः इस कारण से आपराधिक अतिचार का अपराध सृजित नहीं होता है।

13. अब यदि धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में साक्ष्य का समग्र अवलोकन करें तो जाहिर आता है कि परिवादीया ने परिवाद प्रदर्श पी 1 में कथन किए हैं कि अभियुक्तगण, परिवादीया के खेत में लगे बगीचे के पेडों को उखाडने लगे। परिवादीया के ससुर की खातेदारी जमीन में लगे बगीचे में से 8 नीम्बू के पेड, बेरिया जिनके फल लगा था जिससे परिवादीया को फलों के विक्रय से करीब 1 लाख रूपए की आमदनी होती थी, का नुकसान किया। जामुन व केरून्दा के पेड थे, जिनसे भी आमदनी होती थी, उनको भी उखाड दिया। न्यायालय के समक्ष परीक्षित होते हुए भी परिवादीया गवाह पी ड 1 रामघणी ने दौराने मुख्य पररीक्षा कथन किए हैं कि अभियुक्तगण ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उनके पेडों को जेसीबी से नष्ट कर दिया। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से उन्हें करीब 1 लाख रूपए का आर्थिक नुकसान कारित हुआ। इसी के संबंध में गवाह पी ड 2 महेश ने कथन किए है कि अभियुक्तगण ने जे सी बी से उनके खेत में लगे पौधों को नष्ट कर दिया, उक्त कृत्य से उन्हें करीब दो-ढाई लाख रूपए का नुकसान हुआ। गवाहों के कथनों के संबंध में यदि हम पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र अवलोकन करें तो जाहिर हेाता है कि सर्वप्रथम तो परिवादी पक्ष द्वारा यह ही साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादीया/परिवादीया के ससुर के कब्जेशुदा जमीन पर लगे पेडों को उखाडकर

उन्हें आर्थिक नुकसान कारित किया हो क्योंकि स्वंय परिवादीया व गवाह पीड 2 महेश ने वादगत आराजियात पर अभियुक्तगण का कब्जा होना व मुलजिमान द्वारा पत्थरगढी करवाने पर मौके पर गिरदावर साहब का आकर जमीन नापने पर पत्थरगढी में अभियुक्तगण की जमीन नाप में उनके अन्दर तक आनी बताई है। जबकि परिवादी पक्ष की ओर से इस प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि अभियुक्तगण द्वारा उखाडे गए पेड अभियुक्तगण के कब्जेशुदा जमीन पर थे या परिवादी पक्ष के कब्जेशुदा जमीन पर थे। इसके अतिरिक्त यदि हम नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का अवलोकन करें तो उसमें ऐसा कोई अंकन स्पष्ट नहीं है कि पेड कहां लगे थे, किसकी खातेदारी या कब्जेशुदा जमीन पर लगे थे इसके अतिरिक्त मौके पर अभियुक्तगण द्वारा काटे गए पेडों के संबंध में कोई फोटोग्राफ भी परिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाए गए है, जिसमें मौके पर अभियुक्तगण द्वारा काटे गए पेड दर्शित हो रहे हों। इसके अतिरिक्त परिवादीया 1 लाख रूपए का नुकसान होना बता रही है, जबकि पी ड 2 महेश दो ढाई लाख रूपए का नुकसान होना बता रहा है। जिससे दोनों गवाहों के कथनों में भी विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त उक्त के संबंध में किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश कर परीक्षित नही करवाया गया है। जबकि परिवदीया ने परिवाद प्रदर्श पी 1 में पडोसी आशाराम का आना अभिकथित किया है। परन्तु उक्त गवाह को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में परीक्षित नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त स्वंय परिवादीया ने नक्शे मौके प्रदर्श पी 2 के संबंध में कथन किए हैं कि प्रदर्श पी 2 पर क्या लिखा पढी हुई उसे पता नहीं है, ना ही उसे पुलिस वालों ने पढ कर सुनाया। उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर कहां करवाए जिससे उक्त गवाह के कथनों से नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 की ही ताईद नही हुई हैं अतः अभियुक्तगण द्वारा परिवादीया के ससुर की खातेदारी में लगाए गए पेडों को काटकर आर्थिक नुकसान पहुचाने की मौखिक साक्ष्य ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

14. अब यदि हम धारा 323 भादस के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो जाहिर आता है कि गवाह पी ड 1 रामघणी ने इस संबंध में कथन किए हैं कि वह मौके पर गयी तो जयसिंह ने उसके लकडी की आंख पर मारी, बरजी ने

उसे चोटी पकडकर नीचे गिरा दिया व सभी अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की। उसके द्वारा चिल्लाने पर उसका देवर महेश बीच बचाव करने आया तो अभियुक्तगण ने महेश के साथ भी मारपीट की। आगे कथन किए कि घटना की तारीख, मिती, साल, संवत उसे याद नहीं है क्यों कि वह अनपढ है। वक्त घटना उसका पति घाटारानी था व देवर महेश बकरियां चरा रहा था। घटनास्थल से उसका देवर महेश 2-3 किलोमीटर दूर बकरियां चरा रहा था। उसके देवर ने ही उसका बीच बचाव करना बताया है। आगे कथन किए कि उसका देवर बार कूटा सुनकर आ गया था। उसके साथ मुलजिमानों ने आधे घंटे तक मारपीट की थी, जिससे उसकी आंख पर चोट आई। उसकी आंख पर चोट लकडी की मारने से आई थी। आगे गवाह ने अधिवक्ता अभिुक्तगण के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसके कोई चोट नहीं थी। सिर्फ आंख में दर्द की शिकायत थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि दिनांक 23.01.2014 को उसका मेडिकल हुआ था। यह उसे याद नहीं है, कि प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर कहां करवाए। प्रदर्श पी 2 पर उसके अकेले के हस्ताक्षर करवाए थे। प्रदर्श पी 2 पर क्या लिखा पढी हुई उसे पता नहीं है ना ही उसे पुलिस वालों ने पढकर सुनाया।

15. इस संबंध में गवाह पी ड 2 महेश ने दौराने जिरह कथन किए कि घटना शाम के समय की है शाम के कितने समय की थी यह उसे पता नहीं है। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि गवाह पी ड 1 परिवादीया रामघणी ने घटना सुबह के 10-11 बजे की बताई है जबकि चश्मदीद गवाह पी ड 2 महेश जिसके द्वारा परिवादीया उसका बीच बचाव करना बताती है ने घटना शाम के समय की बताई है जिससे दोनों महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में घटना के समय के संबंध में ही तात्विक विरोधाभास है जो कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी पक्ष की कहानी पर ही संदेह उत्पन्न करता है एवं परिवादी पक्ष के लिए घातक साबित होता है जो कि घटना होने पर ही संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि यदि घटना वास्तव में घटित हुई होती और परिवादीया को गवाह पी ड 2 महेश ने बीच बचाव कर छुडवाया होता तो दोनों गवाहों को यह तो याद होना स्वाभाविक था कि घटना सुबह हुई या शाम को जबकि दोनों गवाहान ही परस्पर घटना के समय के संबंध में विरोधाभासी कथन कर परिवादी पक्ष की कहानी को दूषित कर

रहे हैं।

16. इसके अतिरिक्त दौराने साक्ष्य परिवादीया पी ड 1 रामघणी ने घटनास्थल से देवर महेश का 2-3 किलोमीटर दूर बकरियां चराना बताया है जिससे परिवादीया के उक्त कथनों से भी परिवादी पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि 2-3 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को बार कूटा की आवाज सुनाई दे यह संभव एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

17. इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादीया ने उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा आधे घंटे तक मारपीट करना बताया है जो कि उक्त तथ्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि आधे घंटे तक 6-7 आदमी परिवादीया के साथ मारपीट करें और उसके कोई चोट भी ना आए यह कैसे संभव है। इसके अतिरिक्त गवाह पी ड 2 महेश ने दौराने जिरह स्वंय का वक्त घटना 8-9 साल का ही होना बताया है। जिससे 8-9 साल के बच्चे द्वारा 6-7 अभियुक्तगण से परिवादीया का बीच बचाव करना एवं 6-7 अभियुक्तगण द्वारा आधे घंटे तक मार पीट करना और उसके व परिवादीया के कोई चोटें नहीं आना परिवादी पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है।

18. इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादीया पी ड 1 ने दौराने जिरह वक्त घटना उसके पति का घाटारानी होना बताया है। जबकि गवाह पी ड 2 महेश दौराने जिरह वक्त घटना स्वयं, उसके भाई का और उसकी भाभी का मौके पर होना बता रहा है। इस प्रकार वक्त घटना उसके भाई की उपस्थिति के संबंध में भी दोनों गवाहों के कथनों में विरोधाभास है।

19. इसके अतिरिक्त गवाह पी ड 1 परिवादीया ने मारपीट से स्वंय की आंख पर चोट आना व आंख के चोट लकडी से आना बताया है जबकि स्वंय ही आगे कथन किया है कि उसके कोई चोट नहीं आई सिर्फ आंख में दर्द की शिकायत हुई थी। जबकि परिवादीया ने परिवादी प्रदर्श पी 1 में परिवादीया की आंख में डंडा मारने से उसे दाहिंनी आंख से दिखाई देना बन्द हो जाना अंकित किया है। जबकि परिवादीया के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 का अवलोकन करें तो उसमें केवल **Pain** होना अंकित है व **No Weapon Used** होने का उल्लेख है।

जबकि परिवादीया ने चोट अभियुक्तगण द्वारा लकडी से मारने से आना बताया है। इसके अतिरिक्त चोट प्रतिवेदन में चोट दो माह विगत की सही बताई जाना परिवादीया पी ड 1 ने जाहिर किया है। जिससे भी परिवादी पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि यदि परिवाद प्रदर्श पी 1 में अंकित तथ्य पर विश्वास करें तो उसमें अंकित है कि परिवादीया की आंख में डंडा मारने से परिवादीया को दाहीनी आंख से दिखना बन्द हो गया है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को डण्डा मारने से आंखों से दिखना बन्द हो जाए और दो महीने पश्चात मेडीकल करवाए और तुरन्त अस्पताल में उपचार ना ले यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होने से परिवादी पक्ष की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 447, 427, 323 भादस युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। जहां तक धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है तो उक्त अपराध के लिए अभियुक्तगण का इन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधि विरूद्ध जमाव बनाते हैं उस जमाव में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में साशय सम्मिलित होकर उसका सदस्य रहे होना आवश्यक है, परन्तु धारा 447, 427, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण का यह जमाव धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विधि विरूद्ध जमाव की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अन्य अपराध नासाबित होने के कारण अभियुक्तगण का जमाव विधि विरूिद्ध जमाव की श्रेणी में नहीं है। उक्त कारणों से धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं है।

21. अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से परिवादी पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि **अभियुक्तगण ने दिनांक 17-11-2013 को समय दिन के करीब 10-11 बजे मौजा ग्राम भरणी खुर्द में स्थित परिवादीया रामघणी के ससुर के खातेदारी की उसकी कब्जेशुदा आराजीयात पर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में** विधिविरूद्ध **जमाव का गठन कर प्रवेश किया एवं परिवादीया एवं उसके देवर महेश के साथ मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की एवं**

उक्त आराजीयात में लगे पौधों को उखाड दिया जिससे परिवादीया को 50 रूपए से ज्यादा की रिष्टी कारित हुई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक परिवादी पक्ष अपने मामले को पूर्णतः संदेह से परे साबित नहीं कर दे तब तक अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण जयसिंह, जयराम, बरजीदेवी, अम्बालाल एवं प्रकाश को धारा 143, 447, 323, 427 भा0दं0सं0 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

22. अतः अभियुक्तगण 1. जयसिंह पुत्र जयराम उम्र 49 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा, 2. जयराम पुत्र भूरा मीणा उम्र 78 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा, 3. बरजी देवी पत्नी जयराम मीणा उम्र 66 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा, 4. अम्बालाल पुत्र जयराम मीणा उम्र 41 साल निवासी निमेडा तहसील सावर हाल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा, 5. प्रकाश पुत्र रामदेव उम्र 35 साल निवासी भरणी खुर्द थाना शक्करगढ जहाजपुर भीलवाडा को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 143, 447, 323, 427 भा0दं0सं0 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। **प्रकरण में अभियुक्त दयाराम की मृत्यु होने से उसके** विरूद्ध **दिनांक 12-03-2026 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है एवं अभियुक्त काना भील मफरूर है, इस संबंध में पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे, कि पत्रावली को कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।**

23. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437ए दं0प्र0सं0/481

बीएनएसएस के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

24. निर्णय की प्रति अविलम्ब ई-कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

{कनिष्का यादव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जहाजपुर, जिला भीलवाडा

25. निर्णय आज दिनांक 11-05-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{कनिष्का यादव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जहाजपुर, जिला भीलवाडा